IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

मध्यप्रदेष विधानसभा निर्वाचन में महिलाओं की सहभागिता

षोध निर्देषक – डॉ.अखिलेष कुमार षर्मा

पीएच. डी –षोधार्थी राजेन्द्र सूर्यवंषी

षासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय भोपाल मध्यप्रदेष

षोध सारांषः– मध्यप्रदेष में पिछलें छः विधानसभा चुनाव में से साल 2008 में हुये निर्वाचन में 3179 उम्मीदवार के द्वारा भागीदारी की गई थी। जिसमें 2958 पुरूष एवं 221 महिला प्रत्यार्षी मैदान में थे। 14वीं विधानसभा के लिए हो रहे वर्तमान विधानसभा चुनाव में 4882 के नाम निर्देषन प्राप्त हुऐ, जिसमें से निरस्त हुये, तथा 487 प्रत्याषियों के द्वारा नाम वापस ले लिये गये। इसी प्रकार 1092 निर्दलीय उम्मीदवार सहित 66 दलों को मिलाकर कुल 2583 प्रत्याषियों ने निर्वाचन में अपना–अपना भाग्य आजमाया था। साल 2003 के विधानसभा चुनाव में 2171 अभ्यर्थी थे, इनमें से पुरूष 1972 एवं महिलाएं 199 थी। इस निर्वाचन में 3061 नाम निर्देषन–पत्र प्राप्त हुये थे। जिनमे से 564 निरस्त एवं 326 प्रत्याषियों के द्वारा नाम वापिस ले लिये गये।

मध्यप्रदेष में साल 1998 के विधानसभा चुनाव में कुल 2510 प्रत्याषियों ने अपना–अपना भाग्य आजमाया था। जिसमें पुरूष 2329 एवं महिलाएं 181 थी। तब 4104 के नाम प्राप्त निर्देषन–पत्र में स्कूटनी के बाद 1037 के नाम निरस्त हुये, और 557 वापिस लिये गये। इसी तरह साल 1993 के विधानसभा निर्वाचन में 3729 प्रत्याषी चुनाव लडने के लिए भाग लिये थे, इनमें पुरूष 3565 प्रत्याषी तथा महिला प्रत्याषी षामिल हुई थी। इस चुनाव के दौरान प्राप्त 9301 नाम निर्देषन–पत्र में से 667 नाम निरस्त कर दिये गये, तथा 4905 वर्ष 1990 में हुये निर्वाचन में उम्मीदवार और नाम निर्देषन–पत्र की संख्या इन विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक रही थी।

वर्ष 1990 के चुनाव में 4216 प्रत्याषी में से पुरूषों की संख्या 4066 एवं महिलाओं की संख्या 150 महिला प्रत्याषी चुनाव के मैदान में उतरी थी। चुनाव लडने के लिए कुल आवेदन 10 हजार 982 प्राप्त हुऐ थे, बाद में इनमें से 771 निरस्त हुऐ तथा 5995 वापिस लिये गये।

इसी प्रकार वर्ष 1985 के मध्यप्रदेष विधानसभा चुनाव लडने के लिए 2450 प्रत्याषी द्वारा चुनाव लडा गया था। जिनमें पुरूष 2374 प्रत्याषी एवं महिला 76 प्रत्याषी थी। उस समय 6192 प्रत्याषियों के द्वारा निर्देषन–पत्र भरा था। इनमें से 181 नाम निरस्त कर दिये गये थे, तथा 2430 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया था। साल 2008 से 2013 के विधानसभा चुनाव की खसियत यह रही कि दोनों चुनाव की मतगणना के लिए दिनांक एक ही अर्थात 8 दिसम्बर रही। वर्ष 2008 के चुनाव के लिए मतदान 27 नवम्बर को तो साल 2013 के चुनाव में मतदान 25 नवम्बर को हुआ।

प्रस्तावनाः– वर्तमान समय में हमारे देष के अन्दर महिलाएं पहले की अपेक्षा और अधिक संस्या में मतदान कर रही है। पिछले साल दिसम्बर में मध्यप्रदेष, छत्तीसगढ एवं मिजोरम में सम्पन्न हुऐ निर्वाचन में चुनावों के आकडों को देखा जाये तो महिला के द्वारा मतदान किये जाने का प्रतिषत पुरूषों से अधिक महिलाओं

का ज्यादा रहा है। छत्तीसगढ राज्य के अन्दर कुल 90 विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में से 24 ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जिसमें महिलाओं ने पुरूषों से अधिक ज्यादा मतदान किया है।

मध्यप्रदेष में कुल 230 विधानसभा की सीटों में से 51 ऐसे विधानसभा क्षेत्र रहे हैं, जहां पर महिलाओं ने पुरूषों से ज्यादा मतदान किया है जिसमें से 24 विधानसभा इस प्रकार के क्षेत्र है। जहां पर महिलाओं के द्वारा 80 प्रतिषत से भी अधिक मतदान किया गया था। मिजोरम राज्य में पुरूषों की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक 19399 है हमारे देष दोनों राष्ट्रीय स्तर की राजनैतिक पार्टी (भारतीय जनता पार्टी एवं काग्रेस) में महिलाओं को चुनावी मुददा बनाने के लिए राजनीतिक पार्टी स्टंट करने की होड मची है पिछले कुछ वर्षो मे कई राज्यों में हुऐ चुनावों में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं के द्वारा अधिक संख्या में मतदान किया गया है। पुरूषो एवं महिलाओं के मतदान में अन्तर पिछले 5 वर्षो के दौरान एक चौथाई से भी कम हो गया है। राजनीतिक दल अब महसूस करने लगे है कि महिला मतदाता भी मायने रखती है। ये मतदाता किसी भी राजनैतिक दल के समीकरण को बदल सकती है। मध्यप्रदेष में एक अलग घोषणा–पत्र जिसका सूचक है। 2014 के चुनाव में महिलाओं के मतदान के नजरिये से ऐतिहासिक थे, क्योंकि इनमें कुल वैद्य महिला मतदाताओं में से 66.4 प्रतिषत महिलाओं के द्वारा मतदान किया गया था। जिनके फलस्वरूप भाजपा ने मोदी की अगवाई में सरकार बनाई।

सन 2004 से 2009 के चुनावों में देखा गया, महिला भागीदारी के स्तर (58 प्रतिषत) से देखे तो यह एक भारी बढत थी, क्या यह फिर से होगा। यह प्रवृत्ति स्पष्ट हो चली है, कि महिलाएं न केवल पहले की तुलना में ज्यादा संख्या में मतदान कर रही है, बल्कि पुरूषो को भी पीछे छोड रही है। उदाहरण के लिए 2013 में छत्तीसगढ राज्य में सम्पन्न हुऐ विधानसभा के चुनावों में महिला मतदाताओं के द्वारा पुरूष की अपेक्षा अधिक मतदान महिला द्वारा किया गया था। चुनाव आयोग के आकडों के अनुसार 77 प्रतिषत महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, महिलाओं को राजनीति में भी सक्रिय भूमिका का निर्वहन करना आवष्यक है। इसी प्रकार से मध्यप्रदेष विधानसभा क्षेत्रों मे भी महिलाओं के कई छोटे–बडे दवाब समूह है जो कि राजनीति को प्रभावित करते है। जिनमें से कुछ दवाब समूहो का विवरण इस प्रकार है–

1. **स्थानीय निकायों में महिलाओं की सहभागिताः–** देष में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 33 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन कुछ राज्यों जैसे मध्यप्रदेष, बिहार, राजस्थान, छत्तीागढ में महिलाओं के लिए यह आरक्षण 50 फीसदी है। इससे पता चलता है कि गरीब व अनपढ महिलाओं को एक नया रास्ता तो मिला ही है। आज महिलाओं में कुछ करने की उम्मीद जागृत हुई है।
2. **मध्यप्रदेष के विधानसभा 2013 के चुनाव में महिला मतदाताः–** कुल मतदाता 5 करोड 3 लाख 94 हजार 86 तथा महिला मतदाता 2 करोड 40 लाख 774 हजार 7 सौ 19 पुरूष मतदाता 2 करोड 63 लाख 14 हजार 9 सौ 57 तथा युवा मतदाता 1 करोड 37 लाख 83 हजार है। जबकि चुनाव आयोग के अनुसार पुरूष मतदाता में 30601 की वृध्दि हुई। वहीं महिलाओं मतदाताओं की संख्या भी 5 लाख 88 हजार 34 बडी है। जबकि थर्ड जेण्डर मतदाताओं की भी संख्या 124 बडी है।
3. **आरक्षण और महिलाएंः–** वर्तमान समय में आरक्षण की व्यापकता को लगभग सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। जैसे किसी यात्रा, नौकरी , सिनेमा हाल की बात हो या किसी आयोजन क्यों न हो सभी में आरक्षण की व्यापकता अपने पैर फैला रहा है। बलवंत राय मेहता समिति से लेकर 73 वॉ संविधान संषोधन के माध्यम से 1957 में प्रस्तुत रिपोर्ट में इस समिति ने बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम देखने के लिए जिला परिषद द्वारा 2 समिति बनाई गई। पंचायतों के लिए 50 प्रतिषत आरक्षण के लिए हरी झंडी दे दी है। इतना ही नहीं कुछ प्रदेषों जैसे मध्यप्रदेष, बिहार आदि राज्यों द्वारा लागू कर दिया गया।

महिला सषक्तिकरण के वैष्विक प्रयासः– महिला सषक्तिकरण हेतु महिलाओं को उनके वास्तविक उत्थान एवं अधिकार को समझा है। इसी के अनुसरण में गहन चिन्तन मनन के पष्चात विष्व के चयनित 45 सदस्यों के आयोग की अनुषंसा और प्ररेणा से अब तक निम्न चार विष्व महिला सम्मेलनों के आयोजन किये गये है–

1. **प्रथम विष्व महिला सम्मेलन (1975):–** महिलाओं के मुददों पर ध्यान केन्द्रित, यह ऐतिहासिक सम्मेलन 19 जून से 2 जुलाई 1975 तक मैक्सिकों में आयोजन किया गया, इसमें 133 देषों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त 6 हजार एन. जी. ओ. ने भाग लिया। सम्मेलन में महिलाओं की विभिन्न समस्याओं और दुर्बल स्थिति पर विचार करने के अतिरिक्त महत्वपूर्ण सुझाव भी प्रस्तुत किये गये। इस सम्मेलन में महिला सषक्तिकरण हेतु तीन महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये है–
   1.1975 के वर्ष को अन्तराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मान्यता दी गई।
   2.सन 1976 से 1985 का दषक महिला दषक घोषित किया गया।
   3.महिला कल्याण कार्यो को विष्व स्तर पर प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण और तदर्थ नीति–निर्देषन पत्र तैयार किया गया।
2. **द्वितीय विष्व महिला सम्मेलन(1980):–** महिला दषक के मध्यावध विचरण में 145 सदस्य राष्ट्र डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में 14 जुलाई से 31 जुलाई तक एकत्रित हुऐ जहां पर इस द्वितीय विष्व महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उददेष्य प्रथम विष्व महिला सम्मेलन 1975 की घोषणाओं की समीक्षा के साथ महिलाओं के रोजगार, स्वास्थ्य व षिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करना है। इसी के अनुगमन में 18 दिसम्बर 1979 को महासभा ने महिलाओं के प्रति लिंग भेद की पूर्ण समाप्ति को सर्वसम्मति से एक अभिसमय को स्वाकृत किया।
3. **तृतीय विष्व महिला सम्मेलन(1985):–**15 जुलाई से 26 जुलाई तक केन्या के नैरोबी नगर में आयोजित किया गया, इस सम्मेलन के सहभागियों ने 157 देषों के 1900 सदस्य सम्मिलित थे। साथ ही एक एन. जी. ओ. संघ ने लगभग 12000 प्रतिनिधियों को इस सम्मेलन को आकर्षित किया। आने वाली रूकावटों से पार पाने के लिए इस सम्मेलन ने ठोस कदम उठाया।
4. **चतुर्थ विष्व महिला सम्मेलन(1995):–** तृतीय सम्मेलन के 10 वर्ष के पष्चात 4 दिसम्बर से 15 सितम्बर 1995 तक चौथा सम्मेलन बीजिंग (चीन) में रखा गया, इसमें 85 देषो के साथ निजी संगठनों के सदस्यो ने भाग लिया। योजनाओं की कमियों उनके कारणों की पहचान करना तथा उनके निराकरण हेतु नये कार्यक्रमों का निर्धारण बालिकाओं को नौकरियों में आरक्षण उनके अधिकारों में राजकार्यो की सहभागिता के अधिक अवसर दिये जाने की आवष्यकता है।

उद्देष्यः–

1. मध्यप्रदेष निर्वाचन में महिलाओं की भूमिका को ज्ञात करना।
2. राजनीति में महिलाओं की सहभागिता का अध्ययन करना।
3. पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी के स्टार का अध्ययन
4. राजनीतिक दल एवं दवाब समूहों में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन करना।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता का स्तरः– महिलाओं की समाज में एक विषेष स्थिति बन सके इसके लिए महिलाओं को ग्रामीण विकास में सहायक बनाने हेतु अनेक प्रयास किये जाये रहे है। हमारे देष की प्रारम्भिक सामाजिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। जैसा कि संस्कृतियों में देषा जा सकता है। पंचायती राज की अवधारणा समाज में गति प्रदान करने और इच्छित जन सहयोग में हुआ, सन 1959 में पचायती राज तब अस्तित्व में आया जब बलवंत राय महेता अध्ययन दल समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। यह गांमीण महिलाओं में एक नई जागृति की है। वर्तमान समय में हमें प्रत्येक

क्षेत्रों में महिलाओं की कमी महसूस होती है। क्योंकि अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। आज महिलाएं पुरूषों के कधें से कन्धा मिलाकर चल रही है।

निष्कर्षः– वर्तमान समय में महिलाएं षासन में भागीदारी चाहती है। और विधानसभा एवं संसद में अपने लिए आरक्षण की मांग कर रही है। इसी तरह पंचायत स्तर पर महिला सहभागिता ज्यादा करने की कोषिष होती है इस तरह देखे तो अगर पंचायत से यह षुरूआत हुई होती तो यह कदम संसद तक पहुॅच पायेगा, यह कहना मुमकिन नहीं था। महिलाओं के लिए 33 प्रतिषत संसदीय भागीदारी की अवधारणा 1995 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बीजिंग में हुई, चौथी विष्व महिला काफ्रेंस में आई। प्रजातांत्रिक संस्थाओं में कम से कम 33 प्रतिषत महिला भागीदारी होनी चाहिए। केन्द्र सरकार की बात करे तो 1995 में सरकार ने 30 फीसदी महिला उम्मीदवार की प्रतिबध्दता का प्रस्ताव बिल में गया था। परन्तु 12 सितम्बर 1996 को लोकभसा भंग होने के कारण बिल अधर में लटक गया। जिसके बाद 26 जून 1998 को तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने महिला विधेयक पेष किया। मई 2003 में राजग सरकार भी लोकसभा में नाकाम रही। इसके बाद यूपीए ने 6 मई 2008 को राज्यसभा में पेष हुआ, तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 4 जून 2009 को 15 वीं लोकसभा के अभिभाषण में सरकार की सौ दिन की प्राथमिकताओं में आरक्षण दिये जाने की बात कही।

संदर्भ ग्रन्थ सूचीः–

1. **अन्सारी एम. ए. (2000)** – राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय नारी, जयपुरः ज्योति प्रकाषन।
2. **कुमारी मनीषा. (2006)** – महिला सषक्तिकरणः दषा व दिषा मधुर बुक्त पब्लिकेषनः दिल्ली।
3. **गुप्ता कमलेष. (2006)** – महिला सषक्तिकरण, बुक एनक्लेष जयपुर।
4. **सुधा (2003)** – महिलाओं के प्रति अत्याचार एवं मानवाणिकार, नई दिल्ली अषोक हाउय।
5. **एजात तनवीर (2006)** – महिलाओं के लिए आरक्षण सम्पादित साधन, आर्य नारीवादी राजनीति संघर्ष व मुददे, माध्यम कार्यन्वय निर्देषालयः दिल्ली विष्वविद्यालयः दिल्ली।
6. **बंसल, वन्दना (2004)** – पंचायती राज में महिला भागीदारी कल्पाज पब्लिकेषनः नई दिल्ली।

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation